न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 136/2025   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/265**
दायर दिनांक :– 20.06.2025   **निर्णय दिनांक :– 21.12.2025**

1. रामूराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील बाप जिला फलोदी

वादी.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 902/3 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा महादेवनगर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2076–2079 संलग्न वाद पेश है। वादी का सही एवं वास्तविक तथा सम्मान जनक नाम रामूराम देवी पुत्र पेमाराम है जो पहचान संबंधित दस्तावेज में दर्ज है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा राजस्व अभिलेख में वादी का नाम अपनी मनमर्जी से रामू पुत्र पेमाराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक तथा सम्मान जनक नाम रामूराम पुत्र पेमाराम है तथा इसी नाम से ही वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि बने हुवे है तथा वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी का नाम रामू पुत्र नेना दर्ज होने से वादी को के.सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 20.05.2025 को अपना नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादी ग्राम महादेवनगर के उपरोक्त वर्णित खसरान् में दर्ज अपने गलत नाम रामू पुत्र पेमा के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक तथा सम्मान जनक नाम रामूराम पुत्र पेमाराम के नाम खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार घंटियाली ने जवाब में कथन किया कि ग्राम

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

महादेवनगर पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 902/3 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम नामान्तरकरण संख्या 363 के जरिये रामु पुत्र पेमा दर्ज है। इसके अन्य दस्तावेजों में रामुराम पुत्र पेमाराम अंकित है। रामु पुत्र पेमारा के स्थान पर सम्मान जनक नाम रामुराम पुत्र पेमाराम किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है। वादी ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम महादेवनगर पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 902/3 रकबा 4.0469 हैक्टेयर स्थित है। वादी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में रामू पुत्र पेमा दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा परिचय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम रामूराम पुत्र पेमाराम है। वादी के बयान पी.डब्लू–1 में आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श–1ए, मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श–2ए, वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–2079 प्रदर्श–3 है। वादी को रामू पुत्र पेमा के स्थान पर रामूराम पुत्र पेमाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम महादेवनगर पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 902/3 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम रामू पुत्र पेमा के स्थान पर रामूराम पुत्र पेमाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

Satya..

(सत्य नारायण, I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. रामूराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील बाप जिला फलोदी

वादी.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 136 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम महादेवनगर पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 902/3 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम रामू पुत्र पेमा के स्थान पर रामूराम पुत्र पेमाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.12.2025 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya..
(सत्य नारायण-I R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।